राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1172/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
महीपाल मोहनोत बी0- 10, प्रथम विस्तार कमला नेहरू नगर,, Jodhpur,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग झालाना लिंक रोड जे0एल0एन0 मार्ग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28/03/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस. एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-05-2017 के द्वारा आयोग से निर्णय शुदा 10 पत्रावलियों पर आरोपित शास्तियों के संबंध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 01-08-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन में वांछित सूचना पत्र दिनांक 13-06-2017 से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 01-08-2017 को किया गया है। प्रथम अपील खारिज की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। पत्र दिनांक 13-06-2017 एवं प्रथम अपील का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त